भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5221

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।

12 चैत्र, 1947 (शक)

राजस्थान में सामान्य सेवा केंद्र

5221. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य में कार्य कर रहे सामान्य केन्द्रों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) राजस्थान में कुल कितने सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है और उक्त केन्द्रों की स्थापना किस वर्ष तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को सामान्य सेवा केन्द्रों पर अनावश्यक शुल्क की मांग किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क)सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा स्थापित किए जाते हैं और यह सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है, के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है।सीएससी पहल (अर्थात सीएससी 2.0 परियोजना) का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को सेवाएं प्रदान करके सरकार को ग्रामीण नागरिकों से जोड़ना है। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सरकारी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और आधार से संबंधित सेवाओं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान आदि सहित 800 से अधिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बताया कि 28.02.2025 तक देश भर में कुल 5,72,664 सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4,51,880 सीएससी ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यरत हैं। राजस्थान में वर्तमान में 20,914 सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 16,356 ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं। चालू/कार्यात्मक सीएससी की जिलेवार स्थिति **अनुबंध -I**में दी गई है।

(ख) सीएससी 2.0 परियोजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सीएससी के साथ ग्राम पंचायत स्तर तक सीएससी का विस्तार करने और नागरिकों को ई-सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। सीएससी ई-गवर्नेंस सवसेज इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया है कि राजस्थान में सभी 11,340 ग्राम पंचायतों को कम से कम एक सीएससी के साथ कवर किया गया है।

(ग)और **(घ):** सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बताया कि चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान सीएससी की हेल्पलाइन, जिला प्रशासन और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीएससी पर अनावश्यक शुल्क की मांग के संबंध में 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक शिकायत की गहन जांच की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

· जांच पूरी होने तक संबंधित वीएलई की सीएससी आईडी को तत्काल ब्लॉक किया जाएगा।

· संबंधित वीएलई को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

****

अनुबंध- I

फरवरी-2025 तक राजस्थान में कार्यात्मक सीएससी की जिलेवार संख्या

क्र.सं	जिले का नाम	कुल (शहरी + ग्रामीण)	ग्रामीण	शहरी
1	अजमेर	560	391	169
2	अलवर	530	439	91
3	अनूपगढ़	193	169	24
4	बालोतरा	304	286	18
5	बांसवाड़ा	593	534	59
6	बारां	614	500	114
7	बाड़मेर	494	460	34
8	ब्यावर	235	179	56
9	भरतपुर	487	330	157
10	भीलवाड़ा	574	447	127
11	बीकानेर	534	372	162
12	बूंदी	493	390	103
13	चित्तौड़गढ़	465	388	77
14	चुरू	657	490	167
15	दौसा	562	474	88
16	डीग	271	203	68
17	धौलपुर	499	390	109
18	डीडवाना	445	358	87
19	दूदू	91	91	0
20	डूंगरपुर	330	314	16
21	गंगानगर	355	249	106
22	गंगापुरसिटी	197	154	43
23	हनुमानगढ़	712	564	148
24	जयपुर	824	295	529
25	जयपुर ग्रामीण	458	412	46
26	जैसलमेर	174	154	20
27	जालोर	320	283	37
28	झालावाड़	775	658	117
28	झुंझुनू	461	335	126
30	जोधपुर	318	125	193
31	जोधपुर ग्रामीण	471	430	41
32	करौली	393	284	109
33	केकड़ी	230	188	42
34	खैरथल-तिजारा	200	151	49
35	कोटा	724	359	365

****